भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 655

जिसका उत्तर 22.07.2021 को दिया जाना है

भूस्खलनों के कारण हुए नुकसानों के लिए मुआवजा

655.श्री इंद्रा हांग सुब्बा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पहाड़ी इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान रिजर्व लाइन या अधिग्रहित भूमि से परे होने वाले भूस्खलन के कारण हुए नुकसान हेतु मुआवजे के लिए कोई विशेष प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास और रखरखाव करता है और मार्गाधिकार के तहत उनके रखरखाव को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग और इसके संरचनाओं को नुकसान होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक उपायों को शामिल किया गया है। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ईपीसी ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) सौंप दिये गये है। उपलब्ध आरओडब्ल्यू के अनुसार निर्माण कार्य को डिजाइन और निष्पादित करना और ढलानों को काटते समय किसी भी भूस्खलन से बचने के लिए ढलानों की रक्षा के उपाय करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

*****